भूमि ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2021–22/ 957 दिनांक 31-01-2022

निमित्त :–

अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, खण्ड जयपुर, पुलिस थाना सदर के पास, जयपुर।

विषय :–जयपुर की तहसील शाहपुरा में सिकरगट्टा लघु सिंचाई परियोजना हेतु 4 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में। **(Proposal No.- FP/RJ/IRRIG/141323/2021)**

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3098 दिनांक 2.12.2021 के क्रममे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र में वर्णित तथ्यों के कम में लेख है कि आप द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल **PARIVESH** पर प्रस्ताव संख्या **-FP/RJ/IRRIG/141323/2021** को रजिस्टर कर फार्म **A Online** प्रस्तुत करने के साथ–साथ उक्त प्रस्ताव की एक हार्डकॉपी इस कार्यालय मे दिनांक 3.12.2021 को जमा कराई गयी थी। किन्तु दिनांक 20.1.2022 तक उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय के वेबपोर्टल **PARIVESH** पर ऑन लाईन प्रदर्शित/प्राप्त नही हुआ था। उक्त प्रस्ताव दिनांक 21.01.22 को इस कार्यालय की आई.डी. पर ऑन लाईन प्रदर्शित/प्राप्त हुआ हैं। उक्त प्रस्ताव/पत्रावली का निरीक्षण करने के उपरान्त उसमें निम्नलिखित कमियां पायी गई हैं:–

1. पत्रावली पर पेज नंबर अंकित नही हैं एवं पत्रावली में लगा **Authorization letter Orignal** नही हैं।
2. उक्त प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ की पत्रावली सं0 8बी/राज./02/13/2001/एफसी/461 दिनांक 21.03.2002 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। ना कि उस भूमि (ग्राम देवन तहसील शाहपुरा स्थित वन भूमि ख.नं. 2656 में से 0.94 है0, ख.नं. 2655 में से 0.81 है0, ख.नं. 2654/2946 में से 1.05 है0, डूब क्षेत्र के अर्न्तगत ख.नं. 1015 में से 0.80 है0 एवं ख.नं. 1018 में से 0.40 है0 किता पांच रकबा 4.00 है0) को सिंचाई विभाग के खाते में नामान्तरण खोलने की। उक्त वन भूमि को सिंचाई विभाग के खाते में नामान्तरण करना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं। अतः कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश पत्रांक : आर.1(142)05/7419 दिनांक 5.06.06 (संलग्न) जिसकी प्रति आप कार्यालय को भी दी गई थी, को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कराते हुये, इसमें नियमानुसार संशोधन कर ग्राम देवन तहसील शाहपुरा स्थित वन भूमि ख.नं. 2656 में से 0.94 है0, ख.नं. 2655 में से 0.81 है0, ख.नं. 2654/2946 में से 1.05 है0, डूब क्षेत्र के अर्न्तगत ख.नं. 1015 में से 0.80 है0 एवं ख.नं. 1018 में से 0.40 है0 किता पांच रकबा 4.00 है0 को पुनः वन विभाग के नाम कराने का कष्ट करावें।
3. पत्रावली में लगाये गये प्रत्येक नक्शें पर वन खण्ड का नाम गलत लिखा हुआ हैं, एवं पत्रावली के नक्शों पर मार्क वन विभाग की सीमा गलत हैं।
4. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्राप्त समतुल्य गैर वन भूमि को जी.टी. शीट पर जियो रेफरेन्स किया गया है किन्तु उस पर जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट अंकित नही हैं।
5. पत्रावली में संलग्न जी.टी. शीट मैप का स्केल 1:50000 नही हैं।

अतः उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव 5 सेट में प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– मूल पत्रावली

भवदीया,

(सुदीप कौर)
उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2021–22/ दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 339